फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

मन्नी बनाम सरकार वगै0

पत्र संख्या : 133/2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई तथा पत्रावी का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कयशुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1 मिन रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 78 रकबा 2.8300है0 ग्राम रामपुरावास सामरेड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे स्थित है। हाल किये गये सेटलमेंट मे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1 मिन के रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 78 रकबा 2.83है0 बने है। का हाल नवीन नक्शे मे कब्जे के विरूद्व जाकर तरमीम अन्य जगह पर कर दिया गया है। जबकि प्रार्थीगण का कब्जा नवीन नक्शे मे स्थित खसरा नम्बर 49 के स्थान पर है तथा कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण के चार मकानात व मय विधुत कनेक्शन ट्यूबवेल बोरिंग लगा कर मिट्टी की डोल बनाकर काबिज काश्त चले आ रहे है। अतः नवीन खसरा नम्बर 78 की तरमीम को निरस्त करते हुए प्रार्थीगणो के कब्जे काश्त जो कि नवीन खसरा नम्बर 49 पर मकानात मय घरेलू विधुत कनेक्शन तथा कृषि हेतु ट्यूबवेल लगाकर काबिज काश्त करते आ रहे है उसको मध्यनजर रखते हुये खसरा नम्बर 49 अप्रार्थी सं0 2 व 3 के साथ नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करे। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे जवाब/रिपोर्ट मे अंकित तथ्यों को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम रामपुरावास सामरेड के खसरा नम्बर 78 रकबा 2.8300है0 जमाबन्दी अनुसार खातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त खसरा नम्बर के साबिक खसरा नम्बर 1 मिन है। प्रार्थीगण को कब्जाकाश्त हाल नक्शे के खसरा नम्बर 49, 47 पर है। खसरा नम्बर 78 के खातेदारान का कब्जा काश्त लगभग 5 बीघा खसरा नम्बर 49 एवं लगभग 3 बीघा खसरा नम्बर 47 पर है। खसरा नम्बर 78 के मौके पर उक्त खातेदारान का कोई कब्जा काश्त नही है एवं खसरा नम्बर 78 मौके पर पडत है। हाल नक्शे खसरा नम्बर 49 पर लगभग 5 बीघा रकबे पर खसरानम्बर 78 के खातेदारान का तथा शेष रकबे पर खसरा नम्बर 49 के खातेदारान का कब्जा काश्त है। ग्राम रामपुरावास सामरेड मे नक्शा एवं मौका मिलान नही होने के कारण नक्शा दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नही है। अतः उक्त ग्राम के अधिकांश खसरा नम्बरान मे विपरित कब्जा संबधी विवाद है। उक्त खसरा नम्बर की तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नही है। अतः वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस का मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम रामपुरावास सामेरड का नक्शा व मौका मिलान नही होता है। जिससे अधिकांश	

खसरा नम्बरान के विपरित कब्जा संबंधी विवाद है। अतः नक्शा व मौका मिलान नही होने से तरमीम दुरूस्त किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़